

128

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 संभाग रीवा

R 170-III 108



रामपाल पाण्डेय तनय स्व0 श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय उम्र 62 वर्ष पेशा सेवा निवृत्त कर्मचारी
नि0 खुटेही तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 हाल निवासी फोर्ट रोड रीवा , तह0 हुजूर जिला
रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

✓ मथुरा प्रसाद पाण्डेय

2. राजीव लोचन पाण्डेय

दोनो पुत्रगण स्व0 सूर्यदीन पाण्डेय , दोनो नि0ग्रा0 खुटेही तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.....गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त रीवा
संभाग रीवा म0प्र0प्र0क्र0 58/निग0/07-08
पारित आदेश दिनांक 03.07.08

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता
सन् 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :-

1. यह कि निगरानीकर्ता भूमि ख0क्र0 204/2 रकवा 0.050 हे0 स्थित ग्राम खुटेही , तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 का राजस्व अभिलिखित भूमिस्वामी है। उक्त भूमि में निगरानीकर्ता का मकान निर्मित है , मौके से कब्जा दखल है जिसे आगे निगरानी में सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा ।

2. यह गैर निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय तहसीलदार , तह0 हुजूर जिला रीवा के समक्ष विवादित भूमि में कब्जा दर्ज करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो जरिये प्र0क्र0 15/6अ -6/1999-1998 पंजीबद्ध हुआ जहाँ पर निगरानीकर्ता द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि गैर निगरानीकर्तागण के आवेदन पर धारा 115 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत

[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 870-तीन/08 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.01.18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3, 4 सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 11.1.09 को आवेदक रामपाल पाण्डेय तनय जनार्दन प्रसाद पाण्डेय की मृत्यु हो गई थी । उनके विधिक वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लिया गया है और न ही उनके द्वारा कोई सूचना दी गई है । अतः प्रकरण अवैट किया जावे।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता के आवेदन पर विचार किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण में 9 वर्ष पश्चात आवेदक के मृत होने की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । अतः प्रकरण अवैट (Abete) होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	 सदस्य